

दिनांक :-

प्रभारी अधिकारी
नगरीय विकास कर
नगर निगम, अजमेर

विषय :- नगरीय विकास कर एकबारीय (वन टाईम टैक्स) जमा करवाने बाबत ।
प्रसंग :- राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग अधिसूचना क्रमांक:प.8(ग)(16)
नियम/डीएलबी/18/4469 दिनांक 07.02.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी/प्रार्थीया (करदाता) प्रासांगिक अधिसूचना के तहत एकबारीय नगरीय विकास कर जमा करवाकर लाभ प्राप्त करना चाहता है। सम्पत्ति से सम्बंधित विवरण निम्नानुसार है।

01. सर्विस क्रमांक :
02. करदाता का नाम :
03. वार्षिक कर :
04. वर्तमान बकाया/जमा :
(जमा की रसीद)
05. एकबारीय कर राशी :
06. कुल योग :

धोषणा

सम्पत्ति के उपयोग में परिवर्तन होने अथवा मौजूदा निर्माण में परिवर्तन होने पर प्रार्थी/प्रार्थीया (करदाता) तदानुसार कर का पुननिर्धारण करवाकर नवीन कर राशी के अनुसार प्रतिवर्ष/एकमुश्त राशी जमा करने के लिये प्रतिबद्ध होगा।

हस्ताक्षर

नाम, पता व मोबाईल नं.

संलग्न :